न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस.

राजस्व प्रकरण संख्या – 24/2021

प्रार्थीगण :–

1. छैलसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत
2. दलपतसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत
3. शैतानसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत
4. सुरतसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत
5. हड़मतसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत
6. अर्जुनसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत
7. विशनसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत
8. स्व. हड़मतसिंह पुत्र कल्याणसिंह जाति राजपूत के वारिसान–

8/1. ऊमसिंह पुत्र हड़मतसिंह जाति राजपूत

8/2. महेन्द्रसिंह पुत्र हड़मतसिंह जाति राजपूत

8/3. अणचकंवर पत्नी हड़मतसिंह जाति राजपूत

सभी निवासीगण मांगी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर

ब ना म

विप्रार्थीगण :–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिवाना
2. धूड़की पत्नी वेलाराम जाति रबारी
3. मादिया पुत्र वेलाराम जाति रबारी
4. लाखिया पुत्र वेलाराम जाति रबारी
5. लीलकी पुत्री वेलाराम जाति रबारी

निवासीगण मांगी तहसील सिवाना जिला बाड़मेर।

उपस्थित :–

1. प्रार्थीगण वकील श्री कैलाशपुरी
2. विप्रार्थी संख्या 2 ता 4 वकील श्री जयप्रकाश रामदेव
3. विप्रार्थी संख्या 1 व 5 एकपक्षीय

:: आदेश ::

दिनांक :–04.04.2022

यह प्रार्थना पत्र विरूद्ध विप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा. अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण ने यह दर्शाया कि राजस्व ग्राम राजस्व गांव मांगी पटवार क्षैत्र धीरा तहसील सिवाना की राजस्व सीमा में खेत खसरा संख्या 325/76 व 323/76 रकबा क्रमश 3.0594, 3.8850 हैक्टेयर किस्म धोरा अवस्थित हैं। खसरा नम्बर 325/76 प्रार्थीगण संख्या 7 व 8 की खातेदारी की व खसरा नम्बर 323/76 प्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी की दर्ज है, खसरा नम्बर 325/76 व 323/76 दोनों जुड़ते खसरे हैं, तथा दोनों ही खसरों के मध्य माठ बनीं हुई है, दोनों ही खसरों का रकबे अनुसार कब्जा काश्त कायम है जिसकी जांच की तत्कालीन हल्का पटवारी एवं भू–अभिलेख निरीक्षक को पूर्णतया है एवं कब्जा काश्त की उक्त भूमि कब्जा काश्त की उक्त भूमि की सही वस्तुस्थिती हेतु प्रार्थना पत्र के सलग्न नजरी नक्शा परिशिष्ठ अ पेश किया है। खसरा संख्या 324/76 जो कि विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.04.08 14:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

खातेदारी की वर्तमान के है, उक्त भूमि के खातेदार खसरा संख्या 322/76 के बदिशा पूर्व में व खसरा संख्या 66 के बदिशा दक्षिण की तरफ स्थित 7 बीघा 10 विस्वा भूमि पर काबिज रह कर काश्त करते आ रहे हैं, जो नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" में बरंग हरा से दर्शाया गया है जो मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार दर्शाया गया है, विप्रार्थीगण 2 ता 5 का कब्जा काश्त वक्त सैटलमेंट से बरंग हरा पर ही है। प्रार्थीगण द्वारा लिया गया पी– 35 क्रमांक 2190 दिनांक 19.06.2014 में नक्शा ट्रेस में स्पष्टतया उक्त खसरा का अंकन बताया गया है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि खसरा नम्बर 323/76 के बदिशा पश्चिम तरफ 325/76 हैं, जो मौके की स्थिति से पूर्णतया मेल खा रहा है तथा वर्तमान में इसी अनुसार काबिज रह कर काश्त करते आ रहे हैं लेकिन हाल ही में प्रार्थीगण अपने खेत का सीमाज्ञान करवाने हेतु हल्का पटवारी के पास गया तब हल्का पटवारी मिले नहीं तब प्रार्थीगण ने ई–मित्र से दिनांक 02.02.2021 को नकल निकाली तब प्रथम बार पता चला कि खसरा संख्या 323/76 व 325/76 के मध्य विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 324/76 का नक्शा त्रुटिवश आ गया है, जबकि मौके पर 323/76 व 325/76 जुड़ते खेत आये हुए हैं, इन दोनों खेत के मध्य कभी भी विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 का खेत खसरा संख्या 324/76 नहीं हैं। उक्त त्रुटी को सुधारने हेतु हल्का पटवारी के पास गया तो उन्होंने बताया कि त्रुटि से नक्शे का डिजिटेलाईशन के दौरान उक्त खसरा दोनों खेतों के मध्य दर्शाया गया है, जो सक्षम न्यायालय से दुरूस्ती आदेश के माध्यम से ही ठीक हो सकता है। नक्शे में माफिक कब्जा व खतौनी अनुसार भूमि तरमीम नही होने से कब्जा काश्त को लेकर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है ऐसी स्थिति मे नक्शे में दुरूस्ती करने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र पेश करना नितान्त आवश्यक हो गया है प्रार्थीगण ने अपनी उक्त कब्जा कास्त की भूमि की सेटेलाईट फॉटो निकालने हेतु रेवेन्यू गूगल मैप निकलवाया, जिसकी प्रति भी संलग्न है जिसमे प्रार्थीगण का कब्जा खसरा संख्या 323/76 व 325/76 जुड़ते दर्शित हो रहा है तथा खसरा नम्बर 324/76 का इन्द्राज इन दोनों खेतों के मध्य नहीं हैं, जबकि खसरा नम्बर 324/76 कब्जा काश्त अनुसार बरंग हरा नजरी नक्शा में दर्शाया गया है, पर करना था लेकिन लिपिकीय त्रुटी से उक्त इन्द्राज हमारे खातेदारी खेतों के मध्य दर्शाया गया है जो पूर्णतया गलत है। उक्त गलत इन्द्राज की आड़ में भू–माफिया लोग विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 5 की भूमि को खरीद कर हमारे खातेदारी खेत पर कब्जा करने के लिये तत्काल आमादा है, ऐसी स्थिति में उक्त दुरूस्ती/शुद्धि किया जाना पूर्णतया आवश्यक है। इस आश्य का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत पेश किया, जो दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये।

विप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री जयप्रकाश रामदेव ने वकालत नामा प्रस्तुत कर जबाव प्रस्तुत किया [illegible] प्रार्थना पत्र के तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत [illegible] हरा स्थान पर विप्रार्थीगण का कब्जा होना संभव नहीं है क्योंकि उपरोक्त [illegible] मौके पर खसरा संख्या 322/76 की भूमि है तथा वादग्रस्त भूमि 76 रकबा 78.0 बीघा भूमि है जिसके खातेदार द्वारा उपरोक्त भूमि का अलग – अलग बेचान करने से मूल खसरा नम्बर 76 के पांच खसरे 321/76 से 325/76 राजस्व रेकर्ड में दर्ज हुये, मगर प्रार्थीगण द्वारा खसरा संख्या 321/76 व 322/76 की भूमियां के खातेदारान् को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया, जिससे उपरोक्त खातेदार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण काबिले खारिज

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

के है तथा प्रार्थीगण के खेतों के मध्य खसरा संख्या 324/76 में कब्जा होना बताकर प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

वादग्रस्त भूमि की मौका की रिपोर्ट तहसीलदार सिवाना से तलब की गई, तहसीलदार सिवाना द्वारा पत्रांक/भू.अभिलेख/2021/823 दिनांक 27.05.2021 द्वारा प्राप्त रिपोर्ट का गहराई से अवलोकन किया गया।

हमने पक्षकारान् की बहस अन्तिम सुनी गई, प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये खसरा संख्या 325/76 व 323/76 के मध्य खसरा संख्या 324/76 कभी भी नहीं रहा, न हीं मौके पर कब्जा काश्त है तथा खसरा संख्या 325/76 व 323/76 के खातेदारान् सगे भाई है तथा मौके पर विगत कई वर्षो से कब्जा काश्त है 324/76 जो कि विप्रार्थी संख्या 2 ता 5 की भूमि है जो नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में बरंग हरा स्थान पर आयी हुई है तथा प्रार्थीगण के अधिवक्ता ने गूगल मेप (धरा एप) से लिया गया नक्शा की ओर ध्यान आकर्षित करवाया, जिसमे खसरा संख्या 325/76 व 323/76 दोनो पास – पास है तथा मध्य में किसी प्रकार का 324/76 का भाग नहीं है एवं नक्शा लट्ठा ट्रेस की नकल भी प्रस्तुत की, जिसमें 323/76 व 325/76 एक ही मांठ पर होना अर्थात् पास– पास दर्शाया है एवं तहसीलदार सिवाना द्वारा प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट की ओर न्यायालय का ध्यान दिलाया, जिसमें स्पष्ट रूप से यह अंकन किया हुआ है कि खसरा संख्या 325/76 व 323/76 दोनो पास – पास है व उसी अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा है खसरा संख्या 324/76 प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शा के बरंग हरा स्थान पर दर्शित किया गया है व कब्जा काश्त है, जो कब्जा काश्त खातेदारान् का सन् 1976 से लगातार आज दिन तक चला आ रहा है इस लिहाज से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

दौराने बहस विप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आवश्यक पक्षकार के अभाव में खारिज किये जाने की प्रार्थना की। न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, प्रार्थना पत्र एवं जबाव का गहराई से अवलोकन व अध्ययन किया गया।

प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के अनुसरण में प्रार्थीगण ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है उससे ये ताईद होती है कि खसरा संख्या 76 बडा रकबा था जिसमें से अलग – अलग खातेदारो ने सन् 1976 में अपने – अपने हिस्से अनुसार काबिज रहकर काश्त शुरू की, जिस पर प्रार्थीगण संख्या 1 ता 6 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 323/76 व प्रार्थीगण संख्या 7 व 8 की खातेदारी का खेत खसरा संख्या 325/76 पास – पास स्थित है जो गूगल मैप (धरा एप) के नक्शे से साबित है तथा नक्शा ट्रेस की कलर फोटो प्रिन्ट दिनांक 19.06.2014 में भी दोनो ही खसरान् आस – पास में होना दर्शाया है। जिसके मध्य खसरा संख्या 324/76 का इन्द्राज किया हुआ नहीं है। इसी प्रकार तहसीलदार [illegible] की मौका रिपोर्ट दिनांक 27.05.2021 के अनुसार भी खसरा संख्या 325/76 व [illegible]/76 दोनो पास – पास है व उसी अनुसार प्रार्थीगण का कब्जा है व खसरा संख्या 324/76 के खातेदार का कब्जा काश्त प्रार्थीगण के खेत के [illegible] पूर्व में दर्शाया गया है तथा वहां पर ही विप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है, जो कब्जा काश्त खातेदारान् का सन् 1976 से लगातार आज दिन तक चला आ रहा ह प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की पूर्णतया ताईद होती है अर्थात् उक्त मौका रिपोर्ट के सम्बन्ध में विप्रार्थीगण ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की, न हीं उक्त मौका रिपोर्ट के तथ्यों के सम्बन्ध में किसी प्रकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

का कोई कथन या दस्तावेजात् प्रस्तुत ही किया, ऐसी स्थिति में तहसीलदार सिवाना की मौका रिपोर्ट न मानने का कोई कारण न्यायालय के समक्ष नहीं है, खसरा संख्या 76 बडा रकबा है जिसमें तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा अलग – अलग बट्टा नम्बर अंकित करते वक्त सर्वप्रथम तो खसरा संख्या 323/76 व 325/76, 322/76, 321/76 का इन्द्राज कर दिया लेकिन 324/76 का इन्द्राज त्रुटिवंश रह गया, तब हल्का पटवारी ने संभवतः अपनी त्रुटि को सुधारने हेतु मनमाने तौर पर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के उक्त खसरा संख्या 324/76 का इन्द्राज प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 323/76 व 325/76 के मध्य में दर्शा दिया। उक्त खसरा संख्या 324/76 के खातेदारान् विप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा मौका रिपोर्ट अनुसार बदिशा दक्षिण – पूर्व में स्थित है लेकिन त्रुटिवंश आये खसरा संख्या 324/76 के कारण विवाद बढ गया, जहां तक विप्रार्थी की आपति खसरा संख्या 322/76 व 321/76 के खातेदारान् को पक्षकार नहीं बनाये जाने हेतु प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का प्रश्न है, लेकिन मौका रिपोर्ट अनुसार खसरा संख्या 324/76 के खातेदारान् का कब्जा काश्त सन् 1976 से लगातार बदिशा दक्षिण – पूर्व में है ऐसी स्थिति में खसरा संख्या 322/76 व 321/76 के खातेदारान के हक किसी प्रकार से प्रभावित नही होने से आवश्यक पक्षकार नहीं है, लिहाजा विप्रार्थीगण का आवश्यक पक्षकार का प्रार्थना पत्र इसी आदेश में खारिज किया जाता है तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 रा.भू.रा अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन व प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज के अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थी तहसीलदार सिवाना को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण के खेत खसरा संख्या 323/76 व 325/76 ग्राम मांगी के मध्य राजस्व रेकर्ड लट्ठा ट्रेस में दर्शाया गया वादग्रस्त खसरा संख्या 324/76 की तरमीम निरस्त की जाती है तथा तहसीलदार सिवाना द्वारा जारी की गई मौका फर्द दिनांक 27.05.2021 में दर्ज नक्शानुसार खसरा संख्या 323/76, 324/76, 325/76 की तरमीम कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किये जाने का आदेश दिये जाते है, तहसीलदार सिवाना द्वारा जारी मौके फर्द नक्शा दिनांक 27.05.2021 इस आदेश का अंग होगा। खर्चा पक्षकारान् अपना – अपना वहन करे।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:24:25 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना